FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... अति० जिला कलक्टर ..... मुकाम ..... नीमकाथाना

..... रामेश्वर ..... बनाम ..... तहसीलदार

किस्म मुकदमा ..... नम्बर 33 ..... वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/6/24	रिपोर्ट वारिल्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी कि बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1-7-2024 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना	
1.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने बताया था कि भूमि ख० न० 2498/63 व ख० न० 63 कुल किता 2 कुल रकबा 4.30 है० वन ग्राम गणकलास में स्थित है। कुल रकबे में से 0.45 है० मे कब्जा कर पूर्वजो के समय से ही रह रहे हैं। अपीलान्ट गरीब आदमी है एवं भूमि हीन है। अपीलान्ट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मु० न० 28/19 व मु० न० 22/21 दर्ज कर कार्यवाही कि है। जो अवैध है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि क्रियान्विति रोकी जावे। वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख० न० 2498/63 रकबा 1.25 है० किस्म गै०मु० पहाड	

[signature]
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियाल्स जज	नंबर व ता[illegible] मीआद जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि ख० न० 63 रकबा 2.12 है किस्म जौहड़ भूमि ख० न० 63 रकबा 0.12 है जो की 0.4526 पहाड़ के कुल रकबा 1.63 है जो की 0.4526 पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। जो राजकीय भूमि है। जिस पर अतिक्रमण करने का अपीलान्ट को कोई हक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जो अवैध है। जहाँ तक अपीलान्ट का यह कथन है कि हमारा कब्जा पूर्वजो के समय से है परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य /दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे कि अपीलान्ट के इस कथन कि पुष्टि होती हो। अपीलान्ट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो वर्ष 2019 में भी की गई थी एवं 2021 में भी की गई है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील इतने समय के बाद की गई है। प्रकरण राजकीय भूमि का है जिसमें कोई सहायता दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार सभी तथ्यो को देखते हुए एवं रिकार्ड का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होना नही पाया जाता है। अपीलान्ट / प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही नही है क्योकि उक्त भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नही है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में जो अपील पेश कि गई है वो काफी समय के बाद की गई है। जिसकी क्रियान्विति आज स्थगित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार सभी तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र मे स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होने व प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नही पाये जाने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत हथगन सारहीन होने से खारीज किया जाता है। निर्णय सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना	

Scanned with OKEN Scanner